भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH
Serving the nation since 1911

Indian Council of Medical Research
Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India

एफ.नं.16/62/2011-प्रशासन II (भाग) ई-फ़ाइल-189877 दिनांक: 06 अगस्त, 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- ब्रीफकेस/ऑफिस बैग/लेडीज पर्स की प्रतिपूर्ति की राशि की सीमा में संशोधन के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर इस कार्यालय को कुछ संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें ऐसी अदायगी की पात्रता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। परिषद के दिनांक 01.10.2024 के पत्र और विसंगति समिति (अनॉमली कमेटी) की दिनांक 12.11.2020 की सिफारिशों के आधार पर इस मामले की जाँच की गई। इन अनुदेशों के अनुसार, ये लाभ कार्यात्मक पदनाम के आधार पर स्वीकार्य हैं, न कि वितीय उन्नयन के माध्यम से प्राप्त वेतन स्तर के आधार पर। ग्रुप-II के कर्मचारी, वेतन स्तर-6, 7 और स्तर-8 में भी, भर्ती नियमों के तहत पदोन्नति के बिना अपनी मूल कार्यात्मक स्थिति बनाए रखते हैं। अतः वे ऐसी प्रतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं हैं।

2. तदनुसार, परिषद में मौजूदा नियमों की एकरूपता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परिषद के दिनांक 01-10-2024 के समसंख्यक पत्र के माध्यम से जारी किए गए अनुदेशों को दोहराने का निर्णय लिया गया है।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(जयबीर सिंह)
सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

सेवा में,

परिषद के सभी संस्थानों/केंद्रों के निदेशक/ निदेशक प्रभारी।

प्रतिलिपि:

1. महानिदेशक/अपर महानिदेशक/वरिष्ठ उपमहानिदेशक (प्रशा) के निजी सचिव
2. सभी प्रभाग प्रमुख, परिषद मुख्यालय
3. सहायक महानिदेशक - (दोनों)
4. डॉ.एम.एस चाल्गा, वैज्ञानिक- 'डी', परिषद, मुख्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु